

New Norms for Iron and Steel Sector

2933. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have issued new norms for iron and steel sector to help the private sector entrepreneurs to set up industries in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the target fixed by Government for iron and steel production and whether production has increased by this policy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) Government has issued a set of "Guidelines for Entrepreneurs in Iron and Steel Industry" in October, 1992. The guidelines provide entrepreneurs comprehensive information on the policy framework, demand projections, availability of essential raw materials, infrastructural facilities, possible locations, technological capabilities existing within the country, requirement of environmental clearance for Iron and Steel projects, etc.

(c) The Iron and Steel Industry has been removed from the list of industries reserved for the Public Sector and also exempted from the provisions of compulsory licensing except for certain restricted locations. It is expected that this will encourage creation of additional steel production capacities in the private sector in the coming years. It has been estimated that by 1996-97, production of finished steel in the secondary steel sector will increase to nearly 11 million tonnes from the existing level of about 6 million tonnes.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निधियों का संग्रहण

2934. श्री नरेश यादव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अन्य स्रोतों के माध्यम से निधियों का संग्रहण करने का विचार रखता है, यदि हां, तो अन्य स्रोतों के माध्यम से निधियों के संग्रहण हेतु क्या दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं,

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने पहले भी निधियों का संग्रहण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) "सेल" अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति बैंकों, सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों जैसे स्रोतों से नकद ऋण लेकर तथा पब्लिक डिपॉजिट स्कीम (पी०डी०एस०) के अन्तर्गत निधियों का संग्रह करके पूरा करता है। "सेल" अपना पूंजीगत व्यय भारत सरकार इस्पात विकास निधि से ऋण तथा पी०डी०एस० से धन लेने के अतिरिक्त अपने आन्तरिक स्रोतों से पूरा करता है।

आवश्यकताओं के अनुरूप धन अन्य स्रोतों जैसे बैंकर्स एक्सचेंजर्स कैसिलिटी, सप्लायर्स क्रेडिट आदि से भी धन प्राप्त किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद विदेशों की वित्तीय संस्थानों तथा विश्व बैंक से ऋण लेकर पूंजीगत व्यय के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा को पूरा किया जाता है। इस प्रकार के विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जाता है।

"सेल" का वर्ष 1992-93 में सार्वजनिक क्षेत्र के बाँपड जारी कर धन उगाहने का प्रस्ताव है जिसके लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) दिनांक 31.3.92 की स्थिति के अनुसार अन्य स्रोतों से संचयित निधि 1036 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा ऋण है जो सप्लाय के आयात करने के लिए तथा पूंजीगत व्यय (विदेशी मुद्रा अवयव) के लिए था।

Sale of waste product of mixed coke

2935. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of STEEL be pleased to state: